विश्व अंग-दान दिवस- 6 जुलाई

(World Organ Donation Day - 6 July)

किसी दार्शनिक ने कहा है कि, यदि पूरे मानव शरीर का मूल्य 100 रूपया है तो उसमें केवल आँखों का मूल्य 98 रूपया होगा। कितनी अद्भुत बात है कि किसी की मृत्यु पर लोग उसके शरीर की सारी कीमती चीज़ें निकालने के बाद ही उसका संस्कार करते हैं; परंतु उसकी बहुमूल्य आँखों को पूरे शरीर के साथ नष्ट हो जाने देते हैं।

इसका कारण जानकारी का न होना या धार्मिक रूढ़ियाँ हो सकता है। वर्तमान समय में आँख के अलावा अन्य बहुत से अंग एक व्यक्ति से दूसरे में प्रत्यारोपित किए जा सकते हैं।

केवल संयुक्त राज्य अमरीका में एक लाख लोग अंग-प्रत्यारोपण की वेटिंग-लिस्ट में हैं; जब कि वर्ष भर में मात्र 30,000 अंग-प्रत्यारोपण किए जा रहे हैं। इस वजह से सालाना 60,000 लोग प्रत्यारोपण का इंतज़ार करते हुए मर जाते है- इसका मतलब रोजाना 19 व्यक्ति प्रत्यारोपित करने हेतु अंगो का उपलब्ध न होने की वजह से काल के गाल में समा जाते हैं।

अंग-प्रत्यारोपण के बारे में लोगों को जागरूक करने व अधिक से अधिक अंग-दान हो सके इसके लिए "विश्व स्वास्थ्य -संगठन" वर्ष की प्रत्येक 6 जुलाई को 'अंगप्रत्यारोण' दिवस के रूप में मनाने का बीड़ा उठाया है।

मानव शरीर के अंग जो दान करने के बाद प्रत्यारोपित किए जा सकते है-

1- **कार्निया** – आँख के सामने की पारदर्शी झिल्ली। जो लोग आँख में माडा (कार्नियल ओपेसिटी) होने की वजह अंधे हो जाते हैं, कार्निया-प्रत्यारोपण फिर से देखने लगते है

2- **खाल (स्किन)** जलने से अथवा एक्सीडेंट से खाल का बहुत अधिक हिस्सा नष्ट होने पर खाल प्रत्यारोपित की जा सकती है

3- **अस्थि-मज्जा (बोनमैरो)**- एप्लास्टिक एनीमिया (खून का निर्माण बंद हो जाने से रक्ताल्पता)

4- **अस्थि (हड्डी या बोन)** एक्सीडेंट के कारण दो हड्डियों के बीच गैप को भरने के लिए

5- **टैंडन**- पूरी तरह या आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने पर

6- **उपास्थि** (कार्टिलेज) तथैव

7- **दिल के चार वाल्व में से कोई एक अथवा एकाधिक वाल्व क्षतिग्रस्त होने पर दूसरे वाल्व का प्रत्यारोपण**

8- **गुर्दा (किडनी)** रीनाल फेल्योर (किडनी के कार्य न करने पर)

9- **दिल (हार्ट)** किसी भी कारण से यदि पूरा दिल ही कार्य करने में अक्षम होने पर दिल भी प्रत्यारोपित किया जा सकता है।

10- **फेफड़ा** (लंग्स) दोनों फेफड़े की कार्य-क्षमता में ह्रास

11- **अग्नाशय** (पैंकरियाज़) प्रत्यारोपण से टाइप 1 डायबिटीज़ ठीक हो सकती है

12- **यक्रत** (लीवर) जिगर या यक्रत का काम न करना

13- **छोटी आंत**

पैंकरियाज़, फेफड़ा, हृदय, हृदय के वाल्व, व आँख की कार्निया ब्रेनडेड व्यक्तियों से ही प्राप्त किए जाते हैं वहीं गुर्दा, लीवर आदि बाकी अंग जीवित व्यक्ति भी दान कर सकता है।

मृत्यु

किसी भी व्यक्ति को जीवित रहने के लिए शरीर के तीन अंग मस्तिष्क, हृदय और फेफड़े का काम करना आवशयक है। अतः इन तीनों अंगों को 'ट्राइपाड़ ऑफ लाइफ' अथवा 'जीवन के तीन स्तम्भ' कहा जाता है। इन तीनों अंगों मे से एक के भी क्षतिग्रस्त हों पर जीवन संभव नहीं है। हांलाकी मस्तिष्क को छोड़ कर बाकी दिल के काम न करने पर लाइफ सपोर्ट सिस्टम पर मरीज को मात्र कहने के लिए कुछ दिन तक जीवित रखा जा सकता है। परंतु एक बार मस्तिष्क के काम बंद कर देने पर जीवन संभव नहीं है।

अंग-प्रत्यारोपण प्रारम्भ होने के पहले, ट्राइपाड ऑफ लाइफ मे से किसी भी अंग के काम बंद कर देने को ही मृत्यु कहा जाता था। परंतु अंग-प्रत्यारोण प्रारम्भ होने के बाद से, 1960 से इसकी परिभाषा बहुत गूढ हो गई है।

बहुत ही साधारण शब्दों में "किन्ही भी कारणों से मस्तिष्क के सभी कार्यों का रुक जाना 'ब्रेन-डेथ' माना जाता है, और ऐसी ही मृत्यु को प्राप्त हुए व्यक्ति के अंगों को अंगों को प्रत्यारोपण हेतु लिया जा सकता है।

कौन व्यक्ति अंग दान कर सकता है?

कोई भी व्यक्ति जिसने अंग-दान हेतु अपना रजिस्ट्रेशन करा रखा हो अथवा अपनी वसीयत में लिख रखा हो। मृत व्यक्ति के निकटस्थ रिश्तेदार मृत्यु के बाद मृतक के अंगदान के लिए सहमति दे सकते है।

यहाँ यह बताना समीचीन होगा कि मृत्यु के बाद नजदीकी रिशतेदारों की सहमति अनिवार्य है, चाहे मृतक ने अंग-दान की घोषणा अपने जीवन काल में कर रखी हो।

1- अंगदान के लिए कोई भी व्यक्ति <info@giftalife.org> साइट से अंग-दान का फार्म डाउनलोड कर सकता है।

2- फार्म भरने के बाद इसे दो साक्षियों द्वारा हस्ताक्षर करना होगा। इंडो साक्षियों मे से एक को नजदीकी रिश्तेदार हों आवश्यक है।

3- फार्म को भर कर व साक्षियों से हस्ताक्षरित करा कर इसी वेब साइट पर भेजना होता है।

4- इच्छुक व्यक्ति के नाम का एक ' अंग-दान कार्ड' मिल जाएगा इस कार्ड को व्यक्ति को सदैव अपने साथ रखना चाहिए

5- अंग-दान कार्ड होल्डर को अपने निकटस्थ संबंधियों को इसके बारे में सूचित कर देना काहिए।

गुर्दा और लीवर आदि अंग जीवित व्यक्ति भी दे सकता है। इसके लिए अधिकतर मरीज के सगे संबंधी ही अंगदान करते हैं। उत्तर-प्रदेश में संजय गांधी पी जी आई लखनऊ व किंग जार्ज मेडिकल युनिवर्सिटी में केवल संबंधियों द्वारा दिये अंग ही प्रत्यारोपित किए जाते हैं। निर्धन लोगों का शोषण व अन्य घपलों को रोकने के लिए अंग प्राप्तकर्ता व अंग दान करने वाले को पहले एक शपथ-पत्र देना होता है जिसे कि ज़िला मजिस्ट्रेट जांच करने के बाद स्वीकृति पत्र जारी करते हैं। इस प्रक्रिया के बाद ही अंग-प्रत्यारोपण किया जा सकता है।

प्रत्यारोपण के पहले अंग प्राप्त कर्ता व दान-कर्ता के कुछ टेस्ट किए जाते हैं। सब कुछ ठीक होने के बाद ही प्रत्यारोपण किया जाता है।

बहुत कम मरीज ही होते हैं जिनके सगे संबंधी अंग दान करने को प्रस्तुत होते हैं, ऐसी स्तिथि में अंग-प्रत्यारोपण के लिए ब्रेन-डेड लोगों से ही अंग मिल पाते हैं।

उसी मरीज के अंग प्रत्यारोपण हेतु लिए जा सकते हैं हो जो किसी दुर्घटना में सिर में चोट लगने की वजह से आई सी यू में वेंटिलेटर (हार्ट-लॉंग लाइफ सपोर्ट सिस्टम) पर हो, और जिसकी ब्रेन-डेथ हो चुकी हो। वह मरीज जिसकी मृत्यु घर या किसी ऐसे अस्पताल में हुई जिसमें लाइफ सपोर्ट इस्टाम उपलब्ध नहीं है, वहाँ अंग-दान के लिए अंगों का समय से निकाल पाना संभव नहीं है। ऐसे मरीजों मेन मात्र 'आँख-दान' ही क्या जा सकता है।

आँख-दान के लिए 'कार्निया' मृत्यु के चार घंटे के अंदर ही प्राप्त कर लेनी चाहिए वरना वह भी बेकार हो सकती है।

आँख-दान हेतु निम्नलिखित वेब-साइट पर आन-लाइन रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है।

donateeye.org, eye bank <ebai.org> तथा Toll free no. 1919 इस नंबर पर भारत मेन कहीं ए भी निःशुल्क फोन कर सकते हैं

मृत्योपरांत आँख दान हेतु लखनऊ पर निम्न स्थानों से संपर्क किया जा सकता है

1-Lucknow Eye Center-4/998, Vikas Nagar,Lucknow 226022,
Phone:+91-7408999944, 55,
2-Lucknow Eye Center10/217 Indira Nagar,Lucknow-226001
Phone:+919415330006, 91941540481

प्रत्यारोपण के लिए व्यक्ति से एक अथवा आवश्यकता होने पर एकाधिक अंग आपरेशन द्वारा प्राप्त किए जाते हैं और दूसरे में प्रत्यारोपित किए जाते हैं। अंग दान व प्रत्यारोपण दोनों व्यक्ति यदि एक ही अस्पताल में हों तो प्रक्रिया काफी सरल हो जाती है। कभी यह दोनों व्यक्ति सैकड़ों मील दूर भी हो सकते है। ऐसी परिस्थिति में हवाई जहाज़ द्वारा अंग निकालने के 8 घंटे के भीतर ही अंग प्राप्त-कर्ता तक पहुँचना आवश्यक है। इसके लिए अस्पताल के साथ वायु तथा सड़क परिवहन प्रबंधन पूरी सहायता करता है।

अंग-प्रत्यारोपण के बाद भी मरीज को कई साल तक दवाएं लेते रहना पड़ता है। यह इलाज़ भी काफी महंगा होता है जो भारत के गरीब व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। परंतु पूरी आशा है कि समय के साथ यह इलाज भी सस्ता होगा और सरकार व अन्य स्वैच्छिक संस्थाएं ऐसे मरीजों की सहायता को आगे आयेंगी।

भ्रांतियाँ और उनका निवारण-

अंग-दान के बाद शरीर क्षत-विक्षत हो जाता है- यह सत्य है कि मृत्यु उपरांत शरीर में कुछ बदलाव आते हैं। पर सिर्फ अंग- दान की वजह से कोई अतिरिक्त बदलाव नहीं आता। अंग प्राप्त करने का आपरेशन पूर्ण सावधानी और मनोयोग से किया जाता है और बाद में भली-भांति पट्टी कर दी जाती है। देखने में ऐसा लगता है जैसे कोई साधारण आपरेशन हुआ हो।

आँख दान के बाद आंख के ऊपर पलक के नीचे एक प्रोस्थेसिस रख दी जाती है जिससे आँखें अपने प्राकृतिक रूप में दिखती हैं। जिस व्यक्ति को पता न हो वह जान भी नहीं पाता कि मृतक की आँख में कोई आपरेशन हुआ है।

मृतक के शरीर से अंग निकले जाने की क्रिया संबंधियों को नागवार गुजरती है- एक्सीडेंट के केसेज में अधिकतर पोस्ट-मार्टम अनिवार्य होता है। कभी-कभी फोरेंसिक जांच के लिए भी अंग निकाल कर सुरक्षित कर लिए जाते हैं। इसी प्रकार अंग ओरत्यारोपण के लिए निकाले जाते हैं, जो कि किसी को जीवन देने के काम आ सकते हैं।

यह धर्म के अनुकूल नहीं है- लगभग सभी धर्म के धर्म-गुरुओं ने इसे महान धार्मिक कृत्य बताया है।

सद्गति में बाधक- आर्य-धर्म अथवा हिन्दू-धर्म में 'दान' की बहुत महिमा बताई गई है। 'महर्षि दधीच' व 'राजा शिवि' की गाथा संभवतः सभी जानते हैं। यह दोनों मोक्ष प्राप्त करने के बावजूद अपनी 'यश-काया' में आज भी जीवित हैं।

अंग-दान से बड़ा कोई दान नहीं

वाणी-पुत्र डा॰यू॰डी॰शुक्ला संभवतः 'कान्यकुब्ज परिवार के पहले सदस्य हैं,'जिन्होंने मृत्योपरांत अपनी आँख दान का दान किया।

यह मात्र संयोग ही है कि 'अंग-दान' दिवस 6 जुलाई डा॰ शुक्ला की जन्म तिथि भी है ।